समाहरणालय, मधेपुरा
(गोपनीय शाखा)
पत्रांक.3159.....गो0

प्रेषक,

जिलाधिकारी
मधेपुरा।

सेवा में,

सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी
सभी अंचलाधिकारी, मधेपुरा जिला।

मधेपुरा, दिनांक..01.12.2014

विषय : सरकारी कार्य हेतु बैंकों से राशि की निकासी सशस्त्र बल की अभिरक्षा में करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक 28-11-2014 को लगभग 03:00 बजे अप0 में बिहारीगंज प्रखंड अन्तर्गत लक्ष्मीपुर लालचंद पंचायत के पंचायत सचिव श्रीचन्द महतो द्वारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बिहारीगंज से आठ लाख रूपये पेंशन की राशि की निकासी की गयी थी, जिसे अपराधियों द्वारा लूट लिया गया। इस घटना की जानकारी जिला प्रशासन को समाचार पत्रों के माध्यम से प्राप्त हुई। पूर्व में आलमनगर प्रखंड के पंचायत सचिव के साथ इस तरह की घटना घटित हो चुकी है। ऐसा प्रतीत होता है कि कार्यालय प्रधान द्वारा सरकारी राशि की बैंकों से निकासी के संबंध में व्यक्तिगत रूप से ध्यान नहीं दिया जाता है। इस संबंध में निम्नांकित निदेश दिये जाते हैं :-

1-विभिन्न प्रकार के सरकारी कार्यक्रमों यथा- पेंशन वितरण, राहत वितरण, छात्रवृति वितरण इत्यादि हेतु शिविर के माध्यम से लाभुकों के बीच राशि वितरण का सरकारी निदेश दिया जाता है। इस संबंध में जिला अथवा सरकार से निदेश प्राप्त होने के उपरान्त प्रत्येक शिविर स्थल पर उपस्थित होने वाले लाभुकों की संख्या तथा वितरित की जाने वाली राशि का आकलन पूर्व में ही कर लिया जाए।

2-शिविर के माध्यम से राशि वितरण हेतु शिविर स्थल का चुनाव यथासंभव खुले स्थान में एवं सड़क सम्पर्क की सुविधायुक्त स्थल का किया जाना चाहिए।

3-यथासंभव प्रत्येक शिविर स्थल के निकटतम बैंक से राशि की निकासी कर प्रावधान किया जाना चाहिए।

4-बैंक से शिविर स्थल तक राशि लाने या अवशेष राशि बैंक में जमा करने हेतु सुनसान मार्ग का चुनाव नहीं करना चाहिए। साथ ही समय का चुनाव भी उपयुक्त होना चाहिए।

5–नकद राशि को बैंकों से लाने अथवा ले जाने हेतु सरकारी वाहन (अंचलाधिकारी अथवा प्रखंड विकास पदाधिकारी) का प्रयोग किया जाना चाहिए।

6–प्रखंड मुख्यालय में पदस्थापित अंचल गार्ड की अभिरक्षा में ही नकद राशि की निकासी अथवा जमा किया जाना चाहिए।

7–बिना अंचल गार्ड एवं सरकारी वाहन के बैंकों से राशि की निकासी /जमा करने पर यदि किसी भी प्रकार की लूट की घटना होती है, तो इसके लिए कार्यालय प्रधान भी जवाबदेह हो सकते हैं।

8–यदि लूट की घटना किसी भी प्रकार घटित होती है, तो इसकी सूचना अविलम्ब जिला प्रशासन को दिया जाए।

अतएव उपरोक्त दिशा–निर्देशों के आलोक में ही सरकारी कार्य हेतु बैंकों से अत्यधिक राशि की निकासी /जमा करना सुनिश्चित किया जाए।

विश्वासभाजन

9/12/15

जिलाधिकारी

मधेपुरा।

समाहरणालय, मधेपुरा
(गोपनीय शाखा)
पत्रांक.....गो0

प्रेषक,

जिलाधिकारी
मधेपुरा।

सेवा में,

सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी
सभी अंचलाधिकारी, मधेपुरा जिला।

मधेपुरा, दिनांक.....

विषय : सरकारी कार्य हेतु बैंकों से राशि की निकासी सशस्त्र बल की अभिरक्षा में करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक 28-11-2014 को लगभग 03:00 बजे अप0 में बिहारीगंज प्रखंड अन्तर्गत लक्ष्मीपुर लालचंद पंचायत के पंचायत सचिव श्रीचन्द महतो द्वारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बिहारीगंज से आठ लाख रूपये पेंशन की राशि की निकासी की गयी थी, जिसे अपराधियों द्वारा लूट लिया गया। इस घटना की जानकारी जिला प्रशासन को समाचार पत्रों के माध्यम से प्राप्त हुई। पूर्व में आलमनगर प्रखंड के पंचायत सचिव के साथ इस तरह की घटना घटित हो चुकी है। ऐसा प्रतीत होता है कि कार्यालय प्रधान द्वारा सरकारी राशि की बैंकों से निकासी के संबंध में व्यक्तिगत रूप से ध्यान नहीं दिया जाता है। इस संबंध में निम्नांकित निदेश दिये जाते हैं :-

1-विभिन्न प्रकार के सरकारी कार्यक्रमों यथा- पेंशन वितरण, राहत वितरण, छात्रवृति वितरण इत्यादि हेतु शिविर के माध्यम से लाभुकों के बीच राशि वितरण का सरकारी निदेश दिया जाता है। इस संबंध में जिला अथवा सरकार से निदेश प्राप्त होने के उपरान्त प्रत्येक शिविर स्थल पर उपस्थित होने वाले लाभुकों की संख्या तथा वितरित की जाने वाली राशि का आकलन पूर्व में ही कर लिया जाए।

2-शिविर के माध्यम से राशि वितरण हेतु शिविर स्थल का चुनाव यथासंभव खुले स्थान में एवं सड़क सम्पर्क की सुविधायुक्त स्थल का किया जाना चाहिए।

3-यथासंभव प्रत्येक शिविर स्थल के निकटतम बैंक से राशि की निकासी कर प्रावधान किया जाना चाहिए।

4-बैंक से शिविर स्थल तक राशि लाने या अवशेष राशि बैंक में जमा करने हेतु सुनसान मार्ग का चुनाव नहीं करना चाहिए। साथ ही समय का चुनाव भी उपयुक्त होना चाहिए।

5–नकद राशि को बैंकों से लाने अथवा ले जाने हेतु सरकारी वाहन (अंचलाधिकारी अथवा प्रखंड विकास पदाधिकारी) का प्रयोग किया जाना चाहिए।

6–प्रखंड मुख्यालय में पदस्थापित अंचल गार्ड की अभिरक्षा में ही नकद राशि की निकासी अथवा जमा किया जाना चाहिए।

7–बिना अंचल गार्ड एवं सरकारी वाहन के बैंकों से राशि की निकासी /जमा करने पर यदि किसी भी प्रकार की लूट की घटना होती है, तो इसके लिए कार्यालय प्रधान भी जवाबदेह हो सकते हैं।

8–यदि लूट की घटना किसी भी प्रकार घटित होती है, तो इसकी सूचना अविलम्ब जिला प्रशासन को दिया जाए।

अतएव उपरोक्त दिशा–निर्देशों के आलोक में ही सरकारी कार्य हेतु बैंकों से अत्यधिक राशि की निकासी /जमा करना सुनिश्चित किया जाए।

विश्वासभाजन

ह0/–

जिलाधिकारी

मधेपुरा।

ज्ञापांक 2159 /गो0, दिनांक 01-12-14

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा /अपर समाहर्त्ता, मधेपुरा /अपर समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन, मधेपुरा /उप विकास आयुक्त, मधेपुरा /अनुमण्डल पदाधिकारी, मधेपुरा /उदाकिशुनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा /सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग, मधेपुरा /जिला कल्याण पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01/12/14

जिलाधिकारी

मधेपुरा।